67

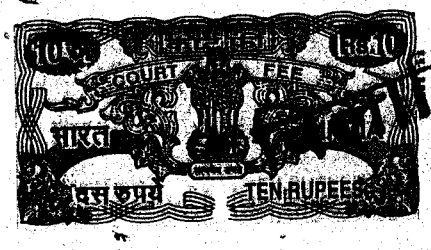

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी R/414- II/17

श्री राम पी. शर्मा एडवो.
द्वारा आज दि. 22/5/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीकृष्ण ब्राह्मण पुत्र केदारनाथ ब्राह्मण निवासी ग्राम नखलौली तहसील अटेर जिला भिण्ड म.प्र.

——आवेदक

बनाम

हाकिम प्रसाद पुत्र रन्धीर प्रसाद निवासी ग्राम नखलौली हॉल निवास ऐंतहार जिला भिण्ड म.प्र.

——अनावेदक[redacted]

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के प्र.क. 49/13—14/अपील में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, ग्राम नखलौलीं तह. अटेर जिला भिण्ड के भूमि सर्वे क. 255/1 रकवा 0.10 हे., सर्वे क. 298 रकवा 0.31 हे., सर्वे क. 415 रकवा 0.08 हे., सर्वे क. 417 रकवा 0.08 हे., सर्वे क. 418 रकवा 0.08 हे. एवं सर्वे क. 1534 रकवा 0.46 हेक्टर में से आवेदक का हिस्सा 2/5 तथा अनावेदक का हिस्सा 3/5 पूर्व में बटवारे में रखा गया था। उक्त बटवारे की अपील विचाराधीन रहते अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्र.क.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1414–दो/17 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 49/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.5.2017 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम नखलौली तहसील अटेर जिला भिण्ड के भूमि सर्वे कमांक 255/1 रकवा 0.10 है0 सर्वे कमांक 298 रकवा 0.31 है0 सर्वे कमांक 415 रकवा 0.08 है0 सर्वे कमांक 417 रकवा 0.08 है0 सर्वे क0 418 रकवा 0.08 है0 एवं सर्वे क0 1543 रकवा 0.46 है0 में से आवेदक का हिस्सा 2/5 तथा अनावेदक का हिस्सा 3/5 पूर्व बटवारे में रखा गया था। उक्त बटवारे की अपील विचाराधीन रहते अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 74/08–09 में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा प्रकरण कमांक 35/अ–27/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 30.7.08 यथावत रखा गया । आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आवेदक द्वारा उक्त भूमि को जर्ये रजि0 विकय पत्र से कय किया है जिसका विधिवत नामांतरण हो कर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित है एवं इसी का कुछ भाग अन्य व्यक्ति	

व्यक्ति को विकय किया गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर आवेदक को न्यायदान दिया जावे।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश के पैरा –5 में लेख किया है कि 29.7.11 आदेश हेतु नियत की गई। नायब तहसललदार सुरपुरा की आदेश पत्रिका दिनांक 22.7.11 से यह स्पष्ट है कि फर्द बटवारे का कोई प्रकाशन नहीं किया गया एवं दिनांक 27.7.11 की आदेश पत्रिका में प्रकरण में आदेश हेतु दिनांक 29.7.11 नियत की गई परन्तु नायब तहसीलदार सुरपुरा ने जब्लबाजी में दिनांक 27.7.11 को ही आदेश पारित कर महान त्रुटि की है जिससे उनका आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपर आयुक्त द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कंमांक 49/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.5.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है, परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य